

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर  
पत्रांक : आई.-7/एफ.एस.(पेट्रोल पम्प)/2017 दिनांक- 11-1-17  
सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अम्बेडकरनगर।

विषय- श्री सी0आर0 विजय कुमार चीफ रिजनल मैनेजर वाराणसी रिटेल रीजन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र संख्या-आर0यू0/ए0के0/749 दिनांक 30.12.2016 द्वारा गाटा संख्या-872 स्थित भूमि ग्राम-अफजलपुर, परगना व तहसील अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर पर नया पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप के पत्रांक : 587/ई0आर0के0/पेट्रोलपम्प-स्थापना/अनापत्ति/2016, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा उपरोक्त विषयक स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्नवत् पाया गया-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित स्थल अकबरपुर बसखारी रोड पर ग्राम-अफजलपुर तहसील अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर पर स्थित है।
- 2- रोड वाइडनिंग को मिलाकर पहुँच मार्ग पर्याप्त है।
- 3- प्रस्तावित स्थल के ऊपर से हाइटेशन लाइन नहीं गयी है।
- 4- एच0पी0सी0 की प्रस्तावित एरिया 40X40 मीटर है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था :-

- 1- ABC टाइप फायर एग्स्टिंग्यूशर 9 किग्रा. क्षमता के प्रत्येक फ्यूल मशीन पर दो-दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 2- जनरेटर रूम पर 9.0 किग्रा. क्षमता का CO<sub>2</sub> फायर एग्स्टिंग्यूशर दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 3- सैण्ड बकेट प्रति यूनिट दो-दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 4- धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पट्टिका व्यवस्थित की जायेगी तथा डीलर रूम में धूम्रपान निषेध बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।
- 5- प्रत्येक लुब्रीकेन्ट स्टोर में 9.0 किग्रा. क्षमता का ABC टाइप-1 अदद तथा CO<sub>2</sub> टाइप 4.5 कि0ग्रा0 का एक अदद फायर एग्स्टिंग्यूशर लगाया जायेगा।
- 6- मानचित्र पर अंकित क्रम संख्या-1 से 11 व क्रम संख्या-1 से 11 तक बिन्दुओं को समायोजित करते हुए पालन किया जायेगा।
- 7- बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायेगा, जिसकी ऊँचाई 4 फिट से कम नहीं होगी।
- 8- रिजर्व बालू टैंक की क्षमता 6X3X3 फिट का बनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिसकी वैधता 1 वर्ष होगी। प्रतिष्ठान संचालन के पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अधिष्ठापित किये जाने वाले अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग/रिफिलिंग फीस राजकीय कोष में जमा कराकर क्रियाशील रखना, ढाँचगत/अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ पेट्रोलियम रूल्स 2002 में उल्लिखित मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(आर0एस0 मिश्र)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर को सूचनार्थ।